

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या-56/2019-20

छोटानागपुर कास्टकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)a

राजेन्द्र मुण्डा बनाम सुकदेव मुण्डा वगैरह

02.01.21

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम एवं पता -

राजेन्द्र मुण्डा पिता-स्व० मंगल मुण्डा, ग्राम-तमाड़, मुरलीडीह, पो०-तमाड़, थाना-तमाड़, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-मुण्डा, पेशा-खेती।

क्रेता का नाम एवं पता -

1.सुकदेव मुण्डा, 2.लखीराम मुण्डा दोनो के पिता-स्व० लोधरो मुण्डा, ग्राम-तमाड़, मुरलीडीह, पो०-तमाड़, थाना-तमाड़, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-मुण्डा, पेशा-खेती।

विद्वान अधिवक्ता का नाम -

श्री परमेश्वर महतो।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-15/07/2019 को आवेदन देकर छो० का० अधिनियम 1908 की धारा-46(i)a के तहत क्रेता 1.सुकदेव मुण्डा, 2.लखीराम मुण्डा दोनो के पिता-स्व० लोधरो मुण्डा, ग्राम-तमाड़, मुरलीडीह, पो०-तमाड़, थाना-तमाड़, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-मुण्डा, पेशा-खेती, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति माँगी है:-

भूमि की विवरणी

| मौजा | थाना/थाना सं० | खाता सं० | प्लॉट सं० | रकवा |
|-------|---------------|----------|-----------|--|
| तमाड़ | तमाड़/241 | 988 | 5407 | <u>09½ डी० क्रेता (लखीराम मुण्डा)</u> <u>चौहद्दी:-</u> उ०-रास्ता। द०-कालीचरण मुण्डा पू०-रास्ता। प०-नहर। <u>04½ डी० क्रेता (सुकदेव मुण्डा)</u> <u>चौहद्दी:-</u> उ०-दुर्योधन मुण्डा। |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | द०- दुर्योधन मुण्डा। पू०-महर। प०- प्लॉट नं० 5407 एवं ढेलका मुण्डा। कुल रकबा: 14 डी०। |
|--|--|--|--|--|

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, तमाड़ से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, तमाड़ का पत्रांक-804(ii) दिनांक-18/12/2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। (अभिलेख के साथ संलग्न) जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :-

- (1) प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत बलराम मुण्डारी वगैरह के नाम से दर्ज है।
- (2) विक्रेता खतियानी रैयत/पंजी-II रैयत के पोता है।
- (3) पंजी-II के अनुसार रैयत का नाम सोमा मुण्डारी वगैरह है। तथा रैयत के पास रकबा-11.31 एकड़ भूमि है।
- (4) प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 2010-11 तक वसूली गयी है।
- (5) खतियानी कायमी के आधार जमाबंदी कायम है।
- (6) सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन काएमी (दोन तीन) किस्म की है।
- (7) प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास जीवन यापन हेतु पर्याप्त भूमि शेष रह जाएगा।
- (8) विक्रेता प्रस्तावित जमीन को शादी विवाह हेतु बिक्री कर रहे है।
- (9) क्रेता एवं विक्रेता दोनो आदिवासी समुदाय के अन्तर्गत आते है।
- (10) क्रेता एवं विक्रेता दोनो एक ही थाना क्षेत्रान्तर्गत निवास कर रहे है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, तमाड़ ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)a के तहत विक्रेता राजेन्द्र मुण्डा पिता-स्व० मंगल मुण्डा, ग्राम-तमाड़, मुरलीडीह, पो०-तमाड़, थाना-तमाड़, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-मुण्डा, पेशा-खेती, को क्रेता 1.सुकदेव मुण्डा, 2.लखीराम मुण्डा दोनो के पिता-स्व० लोधरो मुण्डा, ग्राम-तमाड़, मुरलीडीह, पो०-तमाड़, थाना-तमाड़, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-मुण्डा, पेशा-खेती, के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

न्यायालय के द्वारा दिनांक-22/07/2019 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, तमाड़ के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि की विक्रेता राजेन्द्र मुण्डा पिता-स्व० मंगल मुण्डा, ग्राम-तमाड़, मुरलीडीह, पो०-तमाड़,

थाना-तमाड़, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-मुण्डा, पेशा-खेती, को क्रेता 1.सुकदेव मुण्डा, 2.लखीराम मुण्डा दोनो के पिता-स्व० लोधरो मुण्डा, ग्राम-तमाड़, मुरलीडीह, पो०-तमाड़, थाना-तमाड़, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-मुण्डा, पेशा-खेती, के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 धारा-46(i)a के तहत दी जाती है। तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

भूमि का विवरण

| मौजा | थाना/थाना सं० | खाता सं० | प्लॉट सं० | रकबा |
|-------|---------------|----------|-----------|---|
| तमाड़ | तमाड़/241 | 988 | 5407 | <p>09½ डी० क्रेता (लखीराम मुण्डा)</p> <p>चौहददी:-</p> <p>उ०-रास्ता।</p> <p>द०-कालीचरण मुण्डा</p> <p>पू०-रास्ता।</p> <p>प०-नहर।</p> <p>04½ डी० क्रेता (सुकदेव मुण्डा)</p> <p>चौहददी:-</p> <p>उ०-दुर्योधन मुण्डा।</p> <p>द०-दुर्योधन मुण्डा।</p> <p>पू०-नहर।</p> <p>प०- प्लॉट नं० 5407 एवं ढेलका मुण्डा।</p> <p>कुल रकबा: 14 डी०।</p> |

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उप समाहत्ता।

बुण्डू।

भूमि सुधार उप समाहत्ता।

बुण्डू।